

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।



पत्रांक: पू.वि.वि./सम्बद्धता/2023/ 4644
दिनांक: 20-7-23

सेवा में,

प्रबन्धक,
सृष्टि बालिका शिक्षण संस्थान,
पहाड़पुर, विसम्मर, सैदपुर, गाजीपुर।

विषय:-स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत प्राचार्य पद पर चयनित अभ्यर्थी के अनुमोदन के सन्दर्भ में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 25.11.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त मा० कुलपति जी ने शासनादेश दिनांक-09 मई 2000, 31 दिसम्बर 2010 एवं 25 नवम्बर 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत 03 अथवा 05 वर्ष की संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु प्राचार्य पद पर चयनित अभ्यर्थी के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान कर दी है कि इनके अंक-पत्रों/प्रमाण-पत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक अर्हता	पद
डॉ० पूनम यादव	श्री राममूर्ति यादव	28.05.1980	एम०ए०, पी-एच०डी०	प्राचार्य

आधार संख्या-987991612204

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा पत्र की प्रति प्राचार्य एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड संख्या सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये तथा इसके साथ यह भी सूचित है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो तथा वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा प्राचार्य के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कान्फ़ीडरिब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय। उक्त अनुमोदन नेट प्रमाण पत्र/पी-एच.डी. प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन किया जाता है।

भवदीय

कुलसचिव

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।



पत्रांक: पू.वि.वि./सम्बद्धता/2023/3937
दिनांक: 21-12-23

सेवा में,

प्रबन्धक,
सृष्टि बालिका शिक्षण संस्थान,
पहाड़पुर, विसम्बर, सैदपुर, गाजीपुर।

विषय:- स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के विषयों में चयनित प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 25.11.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त मा० कुलपति जी के आदेश के क्रम में शासनादेश दिनांक-09 मई 2000, 31 दिसम्बर 2010 एवं 25 नवम्बर 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत 03 अथवा 05 वर्ष की संविदा के आधार पर प्रवक्ताओं के पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि अनुमोदन नेट/पी-एच०डी० सहित सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंकपत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक योग्यता	प्रवक्ता
1	अलका यादव आधार संख्या-285551584003	श्री बलवान सिंह यादव	20.07.1987	एम०ए०, नेट	संस्कृत
2	डॉ० संगीता आधार संख्या-203364273344	श्री हरिशंकर यादव	10.08.1988	एम०ए०, पी-एच०डी०	गृहविज्ञान
3	डॉ० सरोज यादव आधार संख्या-819279901793	श्री सिराती सिंह यादव	15.01.1985	एम०ए०, पी-एच०डी०	शिक्षाशास्त्र
4	श्री दीपक सिंह आधार संख्या-789611686792	श्री शितेन्द्र प्रताप सिंह	17.06.1994	एम०ए०, नेट	राजनीतिशास्त्र
5	डॉ० नीलम यादव आधार संख्या-723336864541	श्री हरिशंकर यादव	08.07.1993	एम०ए०, पी-एच०डी०	भूगोल
6	डॉ० मनोज यादव आधार संख्या-611886612489	श्री सिराती सिंह यादव	15.12.1988	एम०ए०, पी-एच०डी०	समाजशास्त्र

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रप अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये ता इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, वेतन एकाउन्ट पे चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा प्रवक्ता के लिए अंशदायी भविष्यनिधि (कान्स्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप लागू किया जाय। उक्त अनुमोदन/विस्तरण, नेट प्रमाणपत्र/पी-एच०डी. प्रमाण पत्र सत्यापन के अधीन किया जाता है।

भवदीय,

कुलसचिव
21/12/23

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।



पत्रांक: पू.वि.वि./सम्बद्धता/2023/ 4959
दिनांक: 24.8.23

सेवा में,

प्रबन्धक,
सृष्टि बालिका शिक्षण संस्थान,
पहाड़पुर, विसम्भर, सैदपुर, गाजीपुर।

विषय:- स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी विषय में चयनित प्रवक्ता के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 28.06.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त माओ कुलपति जी के आदेश के क्रम में शासनादेश दिनांक-09 मई 2000, 31 दिसम्बर 2010 एवं 25 नवम्बर 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत 03 अथवा 05 वर्ष की संविदा के आधार पर प्रवक्ता के पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि अनुमोदन नेट/पी-एचडी सहित सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंकपत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक योग्यता	प्रवक्ता
1	श्री विपिन कुमार सिंह आधार संख्या-422623469425	श्री पारसनाथ सिंह	25.08.1989	एनएच, नेट	हिन्दी

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा प्रवक्ता के लिए अंशदायी भविष्यनिधि (कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय। उक्त अनुमोदन/विस्तरण, नेट प्रमाणपत्र/पी-एच.डी. प्रमाण पत्र सत्यापन के अधीन किया जाता है।

भवदीय,

कुलसचिव